

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग सीतापुर।

पत्रांक ५३५३ / १५५
सेवा में,

दिनांक, सीतापुर २३-०३-२०२१।

टेरीटरी प्रबन्धक (रिटेल),

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०

टेरीटरी पीओएल बल्क डिपो,

गोंव नूरपुर, तहसील आनोला।

विषय:- जनपद सीतापुर में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा बहराईच-सीतापुर रोड, (एस०एच०-३०बी) के कि०मी० नं० ७८, चैनैज नं०-७७.०२२ से ७७.०५७ के मध्य बायीं पटरी पर खसरा संख्या १४४७, ग्राम गोवर्धनपुर, तहसील-बिसवाँ, जिला सीतापुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक अवागमन में प्रभावित ०.२१०५७२ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ०४ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक ८बी/यू०पी०/०६/४२/२०२१/एफ०सी०/१३३० दिनांक १५.०३.२०२१।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निम्न प्रकार धनराशि जमा करने का कष्ट करें:-

१. शर्त संख्या ०२ व ०३ के अनुपालन में २११ वृक्षों के रोपण व १० वर्षों के रखरखाव हेतु रु १,१८,८५८.००/-(रु० एक लाख अट्ठारह हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र) जमा करने का कष्ट करें।
२. शर्त संख्या-०४ के अनुपालन में ०.२१०५७२ हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रु० १,३१,८१८.००/-(रु० एक लाख इकत्तीस हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) जमा करने का कष्ट करें।
३. शर्त संख्या ०२, ०३ व ०४ के अनुपालन में कुल वांछित धनराशि रु २,५०,६७६.००/-(रु० दो लाख पचास हजार छः सौ छिहत्तर मात्र) ई-पोर्टल के माध्यम से जनरेट आनलाईन ई-चालान के माध्यम से जमा कर जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित संदर्भित पत्र में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारूप

क्रम संख्या	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
-------------	-------------	---------------

(रुस्तम परवेज़)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ।
२. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल उ०प्र० लखनऊ।

(रुस्तम परवेज़)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. उप प्रभागीय वनाधिकारी बिसवाँ को भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित।
२. क्षेत्रीय वनाधिकारी, बिसवाँ को भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु मौके की स्थलीय जाँच कर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(रुस्तम परवेज़)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सीतापुर।